डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन




# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149 ] रायपुर, बुधवार , दिनांक 11जुलाई 2001—आषाढ़ 20, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2001

### अधिसूचना

क्रमांक 3626/21-अ (संसदीय)/छग/2001.—म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक-28, सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

(1) 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम, विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
2. यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

(2) समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व म.प्र. राज्य में प्रवृत्त थी एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' तथा ''भोपाल'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' तथा ''रायपुर'' स्थापित किए जाएं.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र, या अनुज्ञप्ति) को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

## अनुसूची

| अनुक्रमांक (1) | विधियों के नाम (2) |
|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972. |
| 2. | मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972. |
| 3. | मध्यप्रदेश विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980. |
| 4. | मध्यप्रदेश विधानमण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967. |
| 5. | मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981. |
| 6. | मध्यप्रदेश विधानमण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957. |
| 7. | मध्यप्रदेश विधान सभा (शोध धनराशियों की वसूली) नियम, 1976. |
| 8. | मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977. |
| 9. | मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978. |
| 10. | मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996. |
| 11. | मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1973. |
| 12. | मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय अनुरक्षण) नियम, 1975. |
| 13. | मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1990. |
| 14. | मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995. |
| 15. | मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) आदेश, 1990. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रभात शास्त्री**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2001

क्रमांक 3626/21-अ (संसदीय)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अधीन अधिसूचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रभात शास्त्री**, उप-सचिव.

Raipur, the 11th July 2001

NOTIFICATION

No. 3626/21-A (P.)/C.G./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

(1) (1) This order may be called the Adaptation of laws Order, 2001.
(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

(2) The Laws as amended from time to time specified in the Schedule to this Order, which was in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh and Bhopal" wherever they occur the word "Chhattisgarh and Raipur" shall be substituted.

(3) Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

| S. No. (1) | Name of the Acts/Rules (2) |
|---|---|
| 1. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972. |
| 2. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972. |
| 3. | The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980. |
| 4. | The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967. |
| 5. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya Seva Adhiniyam, 1981. |
| 6. | The Madhya Pradesh Legislature Travelling Allowance Rules, 1957. |
| 7. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya (Recovery of Dues) Rules, 1976. |
| 8. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Pension Rules, 1977. |
| 9. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya (Rail Dwara Nishulka Adbhivahan) Niyam, 1978. |
| 10. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhutpurva Sadasya (Rail Dwara Nishulka Abhivahan) Niyam, 1996. |
| 11. | The Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Yatra tatha Dainik Bhatta) Niyam, 1973. |
| 12. | The Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vahano Ka Kraya Anurakshan) Niyam, 1975. |
| 13. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1990. |
| 14. | The Madhya Pradesh Parliamentary Affairs Department (Gazetted) Service Rules, 1995. |
| 15. | The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya (Bharti Tatha Seva Sharten) Order, 1990. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.